

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक जून, 2014

संख्या-1/एम02-60-57/2005 गृ0आ0 / श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद, सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0 10997, दिनांक 15.11.2005 द्वारा निलंबित किया गया एवं अधिसूचना सं0 12002, दिनांक 15.12.2005 द्वारा आदेश/अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया गया।

2. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-5 (बी0) के अन्तर्गत श्री कुमार, भा0पु0से0 (1996) को निलंबन अवधि दिनांक 15.11.2005 से 14.12.2005 तक को कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एम02-60-57/2005 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून, 2014

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाइट : [www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in))।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एम02-60-57/2005 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून, 2014


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार पटना /जिला कोषागार,, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एम02-60-57/2005 गृ0आ0 4754 /पटना, दिनांक 10 जून, 2014

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, राज्यपाल, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी/श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996), पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाइट:[www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) पर दर्शाने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 5 गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव